न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 06/2024

श्री जगमाल पुत्र हमीरा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गोगाराम पुत्र हजारी जाति भांभी, निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. श्री मनीष कुमार खण्डेलवाल — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शांति प्रकाश ओझा व श्री सौरभ जैन — अभिभाषक रेस्पों. संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक – **03.05.2024**

अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किये हैं, कि प्रार्थी/प्रत्यार्थी द्वारा तहसीलदार अजमेर के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम माकडवाली तहसील अजमेर स्थित खसरा संख्या 1757, 1758, 1760, 1764/4332 जो प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी की भूमि पर कुछ समय पूर्व सामान्य जाति के व्यक्ति जगमाल पुत्र हमीरा जाति गुर्जर एवं उसके परिवार द्वारा मेरी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने लग गए। इसलिए उक्त लोगो द्वारा मेरी कृषि भूमि पर कब्जा किया गया है। जिसे छुडाकर मुझे मेरी भूमि दिलवाने की कृपा करे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार अजमेर द्वारा पटवारी हल्का ग्राम माकडवाली से मौका रिपोर्ट मंगायी गई। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023 प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दिनांक 09.01.2023 को प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को तलब किये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार अजमेर के समक्ष दिनांक 14.04.2023 को जवाब प्रस्तुत किया जाकर उक्त आराजीयात के रेकॉर्डेड खातेदार प्रताप पुत्र मान्दु जाति मेघवंशी निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर है तथा प्रताप पुत्र मान्दु एवं उसके पुत्र मदनलाल पुत्र प्रताप द्वारा दिनांक 30.05.1989 को अपीलार्थी को रूपये 65000/– नकद प्राप्त किये जाकर बैचान कर कब्जा एवं दखल सौप दिया गया। तत्समय से ही अपीलार्थी उक्त आराजीयात पर सदभाविक केता की हैसियत से गत 33 वर्ष से निरन्तर एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

...ध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण में दिनांक 09. ...2024 को मनमाने तौर पर अपीलार्थी को बहस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उठाई गई मियाद से सबंधित आपत्ति के बाबत किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया गया। इससे रूष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट नें अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/प्रत्यार्थी द्वारा तहसीलदार अजमेर के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम माकडवाली तहसील अजमेर स्थित खसरा संख्या 1757, 1758, 1760, 1764/4332 जो प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी की भूमि पर कुछ समय पूर्व सामान्य जाति के व्यक्ति जगमाल पुत्र हमीरा जाति गुर्जर एवं उसके परिवार द्वारा मेरी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने लग गए। इसलिए उक्त लोगो द्वारा मेरी कृषि भूमि पर कब्जा किया गया है। जिसे छुडाकर मुझे मेरी भूमि दिलवाने की कृपा करे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार अजमेर द्वारा पटवारी हल्का ग्राम माकडवाली से मौका रिपोर्ट मंगायी गई। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023 प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दिनांक 09.01.2023 को प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को तलब किये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार अजमेर के समक्ष दिनांक 14.04.2023 को जवाब प्रस्तुत किया जाकर उक्त आराजीयात के रेकॉर्डेड खातेदार प्रताप पुत्र मान्दु जाति मेघवंशी निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर है तथा प्रताप पुत्र मान्दु एवं उसके पुत्र मदनलाल पुत्र प्रताप द्वारा दिनांक 30.05.1989 को अपीलार्थी को रूपये 65000/— नकद प्राप्त किये जाकर बैचान कर कब्जा एवं दखल सौप दिया गया। तत्समय से ही अपीलार्थी उक्त आराजीयात पर सदभाविक केता की हैसियत से गत 33 वर्ष से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त विक्रय बाबत प्रताप पुत्र मान्दु एवं मदनलाल पुत्र प्रताप द्वारा दिनांक 30.05.1989 को गवाहन गंगाराम पुत्र जोधा भांभी तथा पूसालाल पुत्र दयाल कुम्हार के समक्ष दस्तावेज निष्पादित किया जाकर नोटेरी पब्लिक के रजिस्टर क्रम संख्या 4029 दिनांक 30.05.1989 पर प्रमाणित करवाया गया। जिसके पश्चात उक्त दस्तावेज के आधार काबिज काश्त होने बाबत आज दिवस तक प्रताप पुत्र मान्दु अथवा उसके विधिक वारिसान अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती प्रदान नहीं की गयी। अपीलार्थी उक्त आराजीयात पर जरिये बेनामा विगत 33 वर्ष से निरन्तर काबिज काश्त होने से अतिक्रमी नहीं होकर होल्डिंग ओवर टिनेन्ट होने के कारण धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार बेदखल नहीं किया जा सकता है। धारा 183 बी के तहत बेदखली हेतु वाद की मियाद 12 वर्ष है जबकि अपीलार्थी विगत 33 वर्ष से उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र 22 वर्ष मियाद बाहर होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया संधारण नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थी गोगाराम द्वारा जिला न्यायाधीश अजमेर के समक्ष प्रताप पुत्र मान्दु द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24.10.

जिला कलक्टर
अजमेर

के सम्बन्ध में प्रोबेट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रकरण में प्रताप पुत्र मान्दु के [illegible]सान को पक्षकार बनाया गया जिनसे आपसी मिलीभगत करते हुए राजीनामा के आधार पर उक्त वसीयत के बाबत दिनांक 07.11.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया जबकि अपीलार्थी के पक्ष में बैनामा निष्पादित किये जाने के पश्चात उक्त आराजीयात बाबत समस्त हक व अधिकार समाप्त होने के बावजूद भी प्रताप पुत्र मान्दु द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयत निष्प्रभावी व शून्य दस्तावेज थी। उक्त प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से दुर्भिसंधि कारित कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया जबकि प्रताप पुत्र मान्दु को तथाकथित वसीयत दिनांक 24.10.1996 निष्पादित किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। प्रताप पुत्र मान्दु एवं मदनलाल पुत्र प्रताप द्वारा उक्त आराजियात का अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 30.05.1989 को विक्रय किया जाकर कब्जा काश्त सम्भलाया गया जिसके बाबत राज्य सरकार द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जाती है तो उक्त कार्यवाही की मियाद 30 वर्ष ही है जो कि दिनांक 30.05.2019 को व्यतीत हो गई है इस प्रकार धारा 175 व 183 बी के तहत उक्त कार्यवाही पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है। प्रकरण में दिनांक 14.04.2023 को जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रकरण में नियत समस्त तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्यो में व्यस्त रहे। प्रकरण में दिनांक 10.01.2024 को अपीलार्थी की ओर से मनीष कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 30.01.2024 की नियत की गई। नियत पेशी दिनांक 30.01.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी के उपस्थित होने पर प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 27.02.2024 नोट कराई गई परन्तु पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 09.02.2024 की नियत की जाकर दिनांक 09.02.2024 को अपीलार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.02.2024 को मनमाने तौर पर अपीलार्थी को बहस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उठाई गई मियाद से सबंधित आपत्ति के बाबत किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा इस बात पर गौर नही किया गया कि बैनामा दिनांक 30.05.1989 से प्रत्यर्थी के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 24.10.1999 निष्पादित होने तक तथा दिनांक 24.10.1999 से शिकायत प्रस्तुत करने की दिनांक 28.12.2022 तक प्रताप पुत्र मान्दु द्वारा स्वयं अथवा उसके विधिक वारिसान द्वारा आज दिवस तक अपीलार्थी के कब्जे काश्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति क्यों नही की गई। उक्त तथ्य इस प्रकरण में तय किये जाने बाबत सर्वोत्तम महत्वपूर्ण बिन्दु था जिसे तहसीलदार अजमेर द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से गौण कर दिया गया एवं इस तथ्य पर किसी प्रकार का निष्कर्ष आक्षेपित आदेश में नहीं दिया गया। तहसीलदार अजमेर के समक्ष यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित था कि उक्त आराजीयात के खातेदार प्रताप पुत्र मान्दु एवं मदनलाल पुत्र प्रताप द्वारा दिनांक 30.05.1989 को अपीलार्थी के पक्ष में बैनामा निष्पादित कर दिया गया। उक्त बेनामा बाबत प्रत्यार्थी द्वारा वर्तमान प्रकरण में भी तहसीलदार महोदय के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई। ऐसी स्थिति में तहसीलदार अजमेर द्वारा उक्त बैचान को विधि प्रतिकूल मानते भी है तो सर्वप्रथम उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान

जिला
अजमेर

...कारी अधिनिम के तहत तहसीलदार अजमेर को विधिक कार्यवाही किये जाने का विधिक ...रदायित्व था परन्तु तहसीलदार द्वारा अपने विधिक उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन रहते हुए केवल अपीलार्थी को बेदखल किये जाने पर ध्यान आकर्षित किया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश में जिला न्यायाधीश अजमेर के दीवानी वाद संख्या 227/2014 उनवान गोगाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2024 का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किये जाने बाबत निष्कर्ष दिया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश मुखरित आदेश (Speaking Order) तथा युक्तियुक्त कारण सहित (Reasoned Order) पारित नहीं किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है प्रत्येक आदेश मुखरित आदेश (Speaking Order) होना आवश्यक है इसलिए आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2023 गोगाराम बनाम जगमाल में पारित आदेश एवं बेदखली की कार्यवाही को निरस्त की जाकर समस्त बिन्दुओं पर पुनः सुनवाई किये जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने की स्थिति में अपीलार्थी का कब्जा पुनः प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश भी न्यायहित में प्रदान करे। विकल्प में प्रत्यार्थी के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु आदेश न्यायहित में पारित करावे। वकिल अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2019 (1) पेज 281 से 284, आर.आर.टी 2018 (2) पेज 1537 से 1540, आर. आर.टी 2007 (1) पेज 227 से 229, आर.आर.टी 2022 (2) पेज 1118 से 1136, आर.आरटी 2008 (1) 28 से 30, आर.आर.टी 2020 (2) पेज 658 से 660, आर.आर.टी 2019(1) पेज 217 से 218 प्रस्तुत किए ।

अभिभाषक रेस्पों. सं0 1 नें अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 1757, 1758, 1760, 1764/4332 ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि कि जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गोगाराम पुत्र हजारी जाति भाम्बी खातेदार दर्ज है, अनुसूचित जाति का सदस्य है, अनुसूचित जाति के सदस्य की विवादित भूमि पर अपीलार्थी के द्वारा बिना किसी आधार अधिकार के अतिक्रमण किया गया इस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट गोगाराम के द्वारा अपीलार्थी जगमाल जो अतिक्रमी है को बेदखल किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी जगमाल जो अतिक्रमी है को बेदखल किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी जो कि अतिक्रमी है कि जिसे अपीलाधीन भूमि से बेदखल किए जाने बाबत आदेश दिनांक 09.02.2024 को पारित किया गया कि जिसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट भी तलब की गई, मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023 से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुसूचित जाति का सदस्य की खातेदारी की कृषि भूमि है, अपीलार्थी के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया कि इस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलाधीन भूमि का कब्जा भी मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति

जिला कलक्टर
अजमेर

का निरदावर पटवारी के द्वारा दिनांक 14.02.2024 को ही सम्भला दिया गया, उक्त अपील के प्रतिकुल एवं धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकुल होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन भूमि कि जिसे खातेदार प्रताप पुत्र मान्दू मेघवंशी से दिनांक 30.05.1989 को 65000/– रूपये में बेचान किया जाना दर्शाया एवं साथ ही सद्भाविक केता होना दर्शाया है, इस सन्दर्भ में अपीलाधीन भूमि कि जिसे प्रताप पुत्र मान्दू जाति मेघवंशी के द्वारा दिनांक 30.05.1989 को अपीलार्थी को बेचान की गई हो, कब्जा दिया गया हो कथन मिथ्या होने से अस्वीकार है जबकि इस प्रकार का तथाकथित दस्तावेज प्रथम तो दिनांक 30.05.1989 का ही नही है ऐसा तथाकथित दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत नहीं हुआ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी इस प्रकार का तथाकथित दस्तावेज ही नहीं है, अपीलार्थी जगमाल अतिक्रमी है, धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि समरी प्रोसेडिंग कार्यवाही है, इस सन्दर्भ में दोनो पक्षो को समुचित अवसर दिए गए जो कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से प्रमाणित है, अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील विधि से वर्जित है। धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण कानूनन अवैध है, हस्तान्तरण ही नहीं की जा सकती, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो के पक्ष में किया गया विक्रय संविदा या विक्रय शून्य है एवं कानूनन प्रवृत्तीय नहीं, परन्तु का आशय अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यो के हितो की सुरक्षा करना है, इस प्रकार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि पर अपीलार्थी जो अतिक्रमी था कि जिसे धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बेदखल किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। जिस तथाकथित इकरारनामा का उल्लेख किया गया है जबकि प्रथमतः इस प्रकार का कोई इकरारनामा ही नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर भी नही है, विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के अनुसार इकरारनामा जो कि 100/– रूपये की राशि से अधिक कि जिसका धारा 17 रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार पंजीबद्व करना आवश्यक है तथा धारा 49 स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानानुसार अपूर्ण स्टामपित इस प्रकार दर्शाया तथाकथित इकरारनामा जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। बेदखल के संदर्भ में 12 वर्ष की मियाद का कथन किया कि जबकि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि वाद नहीं है, बल्कि समरी प्रोसेडिंग ही है, अस्वीकार है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है, उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि प्रताप पुत्र मान्दू व उसके पुत्र मदनलाल पुत्र प्रताप द्वारा दिनांक 30.05.1989 को अपीलार्थी को 65000/– में बेचान कर कब्जा व दखल सौंप दिया था। अपीलार्थी दिनांक 30.05.1989 से निर्बाध कब्जे काश्त में चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी गोगाराम द्वारा दिनांक 28.12.2022 को प्रार्थना पत्र बेदखली तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार 12 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की

जिला
अजमेर

तथ्य को तहसीलदार अजमेर द्वारा अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता को तहसीलदर अजमेर द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2024 नोट कराई प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 09.02.2024 को ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी की भूमि खरीदशुदा होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा तहसीलदार के निर्णय को अपास्त कर पुनः कब्जा दिलाने का कथन किया गया। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रकरण में दिनांक 17.01.2023 को अपीलार्थी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड हो गई तथा दिनांक 14.04.2023 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया तत्पश्चात 7 पेशी निरन्तर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दी गई इसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण अपीलार्थीगण का कथन कि सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो स्वीकार योग्य नहीं है। यह कथन भी अस्वीकार है की सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2024 पेशी दी गई हो जबकि आदेशिका अनुसार कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि उक्त तारीख पेशी अपीलार्थी को दी गई हो, अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की यह भूमि खरीदशुदा हैं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा कोई भी विक्रय पत्र अथवा इकरारनामा प्रस्तुत नहीं किया गया हाजा न्यायालय के समक्ष सी.पी.सी के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानो के विपरित बिना प्रार्थना पत्र के फर्द के साथ छाया प्रति बेचाननामा प्रस्तुत किया गया है जो साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है क्योकि प्रथम तो बिना प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया तथा मूल प्रस्तुत नहीं कर छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रथम दृष्टया छायाप्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि तथाकथित बेनामा न तो पूर्णतः स्टाम्पित है न ही पंजीकृत है। इस सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का 2016 (1) आर.आर.टी 1 में बी An unstamped instrument is not admissible in evidence even for collateral purpose, until the same is impounded. इस कारण उक्त दस्तावेज विधि अनुसार पठनीय नहीं है ना ही साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य है, कब्जे के सबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी है कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज कब्जे बाबत प्रस्तुत नहीं किया गया है तथाकथित विक्रय अनुबन्ध साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है तथा ऐसे विक्रय के अनुबन्ध के आधार पर कोई विधिक अधिकार इस सबंध में आर.एल.डब्लू 2007 (1) पेज 368 एवं आर.आरडी. 1980 पेज 252 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार विक्रय के अनुबन्ध के आधार पर सामान्य जाति का अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है तथा मात्र अतिक्रमी है जिसको अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कतई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलान्टस द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हों।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2024 न्यायोचित प्रतीत होने से इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर